

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1810

यदि प्रभासी पदस्थ है तो

स.क्र.	संभाग / पी.आई.यू. संभाग का नाम	नियमित कार्यपालन यंत्री पदस्थ है अथवा प्रभासी	प्रभासी कार्यपालन यंत्री का नाम	पदस्थापना आदेश का क्र. एवं दिनांक	सहायक यंत्री की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में वरिष्ठता सूची क्र.	क्या संभाग में वरिष्ठता सूची है	यदि नहीं तो वरिष्ठता सूची का नाम एवं वरिष्ठता क्र.	कनिष्ठ को प्रभार दिखे जाने का कारण	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लोक निर्माण विभाग संभाग धार	प्रभासी	श्री जयदेव गौतम	म.प्र.शा.लो.नि.वि. का आदेश क्र. एक 1-25/2021/स्था/19 भोपाल दिनांक 05.08.2021	196	जी नहीं	श्री भिक्या परमार 164	प्रशासनिक कारण से	
2	लोक निर्माण विभाग संभाग सागर	प्रभासी	श्री एच.एस. जायसवाल	म.प्र.शा.लो.नि.वि. का आदेश क्र. एक 1-10/2019/स्था/19 भोपाल दिनांक 06.03.2019	309	जी नहीं	श्री अनिल आठिया, 33	प्रशासनिक कारण से श्री जायसवाल पूर्व से पदस्थ हैं	
3	लोक निर्माण विभाग संभाग छतरपुर	प्रभासी	श्री रामरत्नेही शुक्ला	प्रमुख अभियंता, का आदेश क्र. 301/839/व्य.न./2013/322 भोपाल दिनांक 19.02.2021	309	जी नहीं	श्री आशीष भारती 317	प्रशासनिक कारण से श्री शुक्ला पूर्व से पदस्थ हैं	

प्रपत्र-अ

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल, दिनांक 24 जून, 2021
प्रति,


शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की
स्थानांतरण नीति

--0--

राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए
निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है:-

1. यह स्थानांतरण नीति मध्यप्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्यप्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

51. सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए।

नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

52. सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

53. विभागीय प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष जारी किये गये स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल acsgrad@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिये स्वतः उत्तरदायी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,




24.6.2021

(ललित दाहिमा)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग